कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) : दिल्ली

परिपत्र

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), दिल्ली से प्राप्त स्वीकृति के अनुपालन में आप सभी को सूचित किया जाता है कि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार दिनांक 18.09.2023 से 22.09.2023 तक 'विविध हिंदी प्रतियोगिताएँ 2023–2024' का आयोजन करने जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर देखी जा सकती है तथा साथ ही प्राप्त पत्र एवं अनुलग्नकों की प्रतियाँ कार्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। जो भी कर्मचारी विविध हिंदी प्रतियोगिताओं 2023–2024 में हिस्सा लेना चाहते हैं वे अपने पीठासीन/नियंत्रक अधिकारी की अनुमति से ही प्रतियोगिता के दिन व समय पर प्रतियोगिता स्थल पर जाकर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कर्मचारी प्रतियोगिता के बाद कार्यालय में अपने तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करेंगें।

इच्छुक कर्मचारियों को प्रतियोगिता के लिए अनुमति देते हुए संबंधित अधिकारीगण यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि इससे उनके न्यायालय या अनुभाग का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए।

(हस्ताक्षर) 13/09/23

(संजीव जैन)
प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (पूर्व)/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली

संख्या 36144–36444/हिंदी/प्रतियोगिता/दि.सरकार/238/2023 दिल्ली, दिनांक 14 SEP 2023

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. समस्त माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम, पूर्व, शाहदरा, उत्तर–पूर्व, नई दिल्ली, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण–पूर्व, दक्षिण–पश्चिम, राउज एवेन्यू, दिल्ली/नई दिल्ली (इस अनुरोध सहित कि अपने संबंद्ध जिले में सभी कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के विषय में सूचित करें।
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, केन्द्रीय जिला व पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
3. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) व अनुभाग प्रमुख, केन्द्रीय जिला व पश्चिम जिला,, तीस हजारी न्यायालय परिसर, दिल्ली।
4. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक)/राजभाषा हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय, पश्चिम, उत्तर, उत्तर–पश्चिम, पूर्व, उत्तर–पूर्व, शाहदरा, नई दिल्ली, दक्षिण–पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्व, राउज एवेन्यू न्यायालय दिल्ली/नई दिल्ली।
5. उप–सचिव, कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
6. वेबसाइट समिति, अँग्रेजी/हिंदी, जिला न्यायालय दिल्ली, संलग्नकों सहित इस निर्देश सहित की इन्हें सहज प्रदर्शित स्थान पर प्रदर्शित करें ताकि इच्छुक कर्मचारी आसानी से पत्र व इसके संलग्नकों को देख व पढ़ सकें।

☞ कृपया ध्यान दें : आप सभी से अनुरोध है कि इस परिपत्र से अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को अवगत करवाएं। आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रतियोगिता के दिन कर्मचारियों को निर्धारित समय पर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने की अनुमति भी प्रदान करें।

(हस्ताक्षर) 13/9/23

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (पूर्व)/
अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति,
जिला न्यायालय, दिल्ली

आवक संख्या 5127
06 SEP 2023
दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी–विंग, सातवां तल,आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(11)/2023-2024–क0सं0 एवं भाषा/ 1120–1220 दिनाक: 05/09/2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा
समस्त विभागाध्यक्ष, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ।

विषय: विविध हिन्दी प्रतियोगिताएं 2023–2024 के संबंध में ।

महोदय/महोदया।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को बढाने, इसका प्रचार प्रसार करने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रयास किये जाते हैं। इसी क्रम में दोपहर 3.30बजे से विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है –

क्र. सं.	दिनाक	प्रतियोगिता का नाम	उपस्थित होने का समय	स्थान
1.	18.09.2023	हिन्दी निबंध प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	3.00बजे	राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54
2.	19.09.2023	हिन्दी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता वर्ग "क" "ख", "ग" तथा "घ"	–वही–	–वही–
3.	20.09.2023	हिन्दी सुलेख प्रतियोगिता वर्ग "क", "ख" तथा "ग"	–वही–	–वही–
4.	21.09.2023	हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले)
5.	22.09.2023	हिन्दी टाइप (मौखिक) एवं हिन्दी टाइप (लिखित)	सुबह 11.00 बजे से प्रारंभ	–वही–

(i) उपरोक्त क्रम सं0 1 से 3 का आयोजन राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, नं.1, लुडलो कैसल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली–54 स्थित स्कूल में होगा।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 4 एवं 5 का आयोजन कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठा तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले) स्थित कार्यालय में होगा।

कृपया अपने विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें और प्रतियोगिता में शामिल होने के लिये इच्छुक प्रतियोगियों को सीधे परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने की अनुमति प्रदान करते हुए उनके नाम निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम द्वारा दिनांक 14.09.2023 तक इस विभाग में भिजवाने का कष्ट करें ।

विशेष टिप्पणी –

आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं की नियमावली एवं प्रपत्र इसके साथ संलग्न है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वे अपना नाम भिजवाने से पूर्व संलग्न की गई नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ ले।

इस बार भी कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक/लिखित) परीक्षा ली जायेगी। कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले प्रतियोगी कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठां तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 में पूर्वाह्न 10.30बजे तक परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। परीक्षा से संबंधी सूचना नीचे दी गई विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

टीप: संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट www.artandculture.delhigovt.nic.in+Centralized Circular पर देखी जा सकती है।

भवदीया

(प्रोमिला मित्रा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)
दूरभाष संख्या : 23392307

V-26

हिन्दी की विविध प्रतियोगिताओं की नियमावली (वर्ष 2023–2024)

1. इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार तथा इसके अधीनस्थ समस्त स्वायत्त निकाय अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली परिवहन निगम, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, समस्त जिला एवं सत्र न्यायालय और दिल्ली जल बोर्ड इत्यादि के अधिकारी / कर्मचारी भाग ले सकते हैं ।

2. ये प्रतियोगिताएं निःशुल्क हैं ।

3. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा) की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् हिन्दी की विविध प्रतियोगिता के प्रश्न पत्र तैयार करना एवं उत्तर पुस्तिकाओं की जांच राजभाषा विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों से करवाई जाती है।

4. इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों / कर्मचारियों को अपना नाम उप–सचिव / कार्यालयाध्यक्ष, कला,संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, छठा तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0 पी0 इस्टेट, नई दिल्ली के पास उचित माध्यम से भेजने होंगे ।

आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

5. हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता में हिन्दी में 5 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी तथा डिक्टेशन पूर्ण होने के पश्चात् प्रतियोगी को उत्तर पुस्तिका पर डिक्टेशन का हिन्दी रूपान्तरण अनिवार्य रूप से 40 मिनट टाइप करके प्रस्तुत करना होगा। हिन्दी आशुलिपि प्रतियोगिता 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ली जायेगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा ।

6. हिन्दी टाइप (मौखिक) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र नहीं दिया जाएगा।

7. हिन्दी टाइप (लिखित) प्रतियोगिता 5 मिनट की होगी जिसमें केवल एक ही वर्ग होगा तथा लिखित प्रश्न–पत्र दिया जाएगा।

8. कम्प्यूटर पर हिन्दी आशुलिपि एवं हिन्दी टाइप (मौखिक / लिखित) परीक्षा का आयोजन दिनांक 21.09.20123 एवं 22.09.2023 को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, छठा तल, बी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली–02 (कम्प्यूटर पर परीक्षा देने वाले) में किया जायेगा।

9. हिन्दी निबंध प्रतियोगिता में प्रतियोगी को दिए गए विषयों में से किसी एक पर कम से कम 500 शब्दों का निबंध लिखना होगा जो 100 अंकों का होगा और समयावधि 45 मिनट होगी। अन्य भाषा–भाषी (अहिन्दी भाषी) प्रतियोगियों के निबंध के शब्दों की संख्या कम से कम 350शब्द होनी चाहिए। निबंध का मूल्यांकन भाषा शैली, विषयपरकता, अभिव्यक्ति आदि मानकों के आधार पर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित वर्ग होंगे :–

i. वर्ग 'क' में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7 या उससे ऊपर के राजपत्रित अधिकारी / कर्मचारी।

ii. वर्ग 'ख' मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) के अलावा वेतन मैट्रिक्स–4 से 7 तक अराजपत्रित कर्मचारी।

इन प्रतियोगिताओं से संबंधित किसी भी विवाद, शिकायत या इसके उपबंधों के निर्वहन आदि के संबंध में सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा), दिल्ली सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग तथा हिन्दी अकादमी के कर्मचारी एवं किसी अन्य संस्थान के राजभाषा विभाग में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी भाग नहीं लेंगे।

प्रत्येक प्रतियोगिता के किसी एक वर्ष में इस वर्ष प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रतियोगी अगले एक वर्ष तक उस प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र नहीं होगा। जो प्रतियोगी इस वर्ष की प्रतियोगिता में द्वितीय या तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, वे अगले वर्ष की प्रतियोगिता में केवल उससे ऊपर के पुरस्कार अर्थात प्रथम या द्वितीय पुरस्कार के लिए ही पात्र होंगे। जो प्रतियोगी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करते हैं वे एक वर्ग में लगातार केवल दो वर्ष तक ही प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र होंगे।

18 प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा इसके अतिरिक्त उसे अगले तीन वर्षों के [illegible] प्रतियोगिता से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी अनियमितता की सूचना उसके विभाग को [illegible] हेतु भेज दी जाएगी।

प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।

(प्रोमिला मित्रा)
उप–सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)